न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/547

लक्ष्मण सिंह आयु 55 वर्ष आत्मज श्री केसर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

बनाम

1. हीरा बाई पत्नी छोटा जाति माली निवासी ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. धन्ना आत्मज माधो जाति गुर्जर निवासी ग्राम ठीकरदा (मृतक) जरिये कायकमुकामान :–
   2/1. बाबूलाल आत्मज धन्ना लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम ठीकरदा हाल निवासी ग्राम दलेलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   2/2. लोडकी बाई पत्नी धन्ना लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम ठीकरदा हाल निवासी ग्राम दलेलपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
   2/3. सुगना बाई पुत्री धन्ना लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम ठीकरदा हाल निवासी ग्राम हट्टीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. गोविन्द सिंह आत्मज श्री केसरी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 30.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 2969/124 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के खाते एवं कब्जे की भूमि है । उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार निहित नहीं है । प्रतिवादी कम 01 ने अपनी भूमि की सीमा गैर कानूनी रूप से बढाने के उद्देश्य से वादी के खाते की भूमि पर नक्शे में तरमीम कर 124/4 नम्बर डाल दिये गये हैं जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 जबरन अतिक्रण कर कब्जा करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः प्रतिवादी कम 01 जो जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के खाते एवं कब्जे की भूमि के नक्शे में तरमीम नम्बर 124/4 के पूर्वी साइड अथ्वा किसी भी साईड में जबरन कब्जा नहीं करे तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 30.07.2015 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखने की अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर वाद खारिज कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया था जिसमें यह कथन किया गया था कि वादग्रस्त आराजी वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की है । प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की आराजी में हस्तक्षेप कर रहे हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । जवाबदावा प्रतिवादीगण की ओर से पेश किया गया और पत्रावली कायमी तनकीयात एवं बहस में लम्बित थी, किसी भी पक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की गई थी और गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । लोक अदालत की कोई सूचना नहीं दी गई । अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे और पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक नहीं हैं उनका दावा मेन्टेनेबल नहीं है उनको जो आराजी आवंटन की गई थी वो आवंटन निरस्त हो चुका है मौके पर उनका कब्जा नहीं है । जब वादग्रस्त आराजी उनके खाते में नहीं है सिवायचक दर्ज हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में उनका दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने रिबटल में कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण परीक्षण न्यायालय में जॉच हेतु प्रतिप्रेषित किया है । धन्ना लाल के द्वारा जो दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया था, प्रकरण संख्या 95/2011 वो दिनांक 26.03.2018 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो चुका है ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने फर्द के साथ कुछ दस्तावेज पेश किये जिनमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23 जून, 2014 की फोटो प्रति संलग्न की गई है । उक्त दस्तावेज शामिल मिसल किये गये ।

12. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.06.2014 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 02 की मृत्यु की सूचना अंकित की गई है । पत्रावली वास्ते साबिक कार्यवाही दिनांक 20.08.2014 को पेश हो इसके उपरान्त कई तारीख पेशी दी गई और दिनांक 30.07.2015 को पत्रावली लोक अदालत में रखी गई । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई राजीनामा हुआ है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

13. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 16.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा